

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक 406/117/वि/नि/चार/03

रायपुर, दिनांक 19.05.2003

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषय:-विश्रामावकाश विभागों में सेवारत कर्मचारियों को अर्जित अवकाश ।

संदर्भ:- (1) म.प्र. शासन वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 587/435/87/नि-1/चार, दिनांक 13.10.1987.
(2) म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ. 44-32/बी-2/बीस/97, दिनांक 27.2.1998.
(3) म.प्र. शासन जनशक्ति नियोजन विभाग का आदेश क्रमांक 807/98/42-1, दिनांक 27.01.99.

मध्यप्रदेश शासन के संदर्भित ज्ञापनों द्वारा विश्रामावकाश विभागों में सेवारत कर्मचारियों के लिए अर्जित अवकाश संबंधी निर्देश जारी किये गए हैं। राज्य शासन द्वारा समस्त विश्रामावकाश विभागों के अवकाश में एकरूपता लाने के लिए संदर्भित आदेशों के निर्देशों के स्थान पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:-

- (1) विश्रामावकाश विभागों के कर्मचारियों को वर्ष में 10 दिन के अर्जित अवकाश की पात्रता होगी। यह अवकाश कर्मचारियों के अवकाश लेखे में वर्ष में दो किश्तों में क्रमशः जनवरी एवं जुलाई को 5 दिन की दर से अग्रिम जमा होगी।
- (2) यदि किसी कर्मचारी द्वारा किसी छः माही में असाधारण अवकाश का उपभोग किया गया है, तथा /या कुछ अवधि की अनुपस्थिति को अकार्य दिवस (डाईजनॉन) जैसा माना गया है, तो आगामी छः माही के प्रारंभ में उसके खाते में जमा होने वाली

- अर्जित अवकाश से ऐसे अवकाश तथा/ या अकार्य दिवस की अवधि का 1/30 वाँ भाग कम कर दिया जाएगा, किन्तु इसकी अधिकतम सीमा 5 दिन होगी ।
- (3) किसी ऐसी छः माही जिसमें शासकीय सेवक की नियुक्ति होती है अथवा सेवा का अवसान होता है, छः माही में की गई या की जाने वाली सेवा के प्रत्येक पूर्ण माह के लिए 5/6 दिन की दर से अवकाश की पात्रता होगी ।
- (4) अवकाश नियम 1977 के नियम 27 के अनुसार किसी वर्ष में सम्पूर्ण या आंशिक विश्रामावकाश का लाभ न उठाने पर देय अर्जित अवकाश को शामिल करते हुए वर्ष में जमा होने वाली अर्जित अवकाश की अधिकतम सीमा 30 दिन होगी ।
- (5) वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 13.10.87 द्वारा बगैर चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये वर्ष में 20 दिवस के अर्द्ध वैतनिक अवकाश के आधे के समान अवकाश लघुकृत अवकाश के रूप में उपभोग करने की सुविधा समाप्त की जाती है ।

यह आदेश 1.7.2003 से प्रारंभ हो रहे शिक्षा सत्र से लागू होगा ।
नियम में संशोधन के आदेश अलग से जारी किये जायेंगे ।

(आर.एस. विश्वकर्मा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क.407/117/वि/नि/चार/03

रायपुर, दिनांक 19.05.2003

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय ।
4. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छ.ग. ।
5. सचिव, छ.ग., लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/लोक आयोग/ राज्य निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/ राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन ।
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर ।

8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
9. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
10. अपर मुख्य सचिव, वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर ।
11. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग., रायपुर ।
12. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, छ.ग., रायपुर ।
13. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/ मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर।
14. समस्त सचिव, विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग., रायपुर ।
16. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
19. नियंत्रक, शासकीय लेखा सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(एस.के. चकवर्ती)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग